

लक्ष्यपूर्ति करारनामा
वर्ष 2015-16

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल

एवं

मध्य प्रदेश वित्त निगम, इन्दौर
(ISO 9001: 2008 प्रमाणित निगम)

ई-मेल : finance@mpfc.org
वेबसाईट : www.mpfc.org

भाग—1

मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 30 जून, 1955 को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 (केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत हुई।

निगम ने विगत 60 वर्षों में 14575 से अधिक ऋण प्रकरणों में रूपये 4432.00 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये एवं रूपये 2992.00 करोड़ वितरित किए। निगम के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों स्थापित हुईं साथ ही सेवा क्षेत्र जैसे होटल, अस्पताल, मनोरंजन केन्द्र, शीतगृह, भण्डार गृह इत्यादि भी स्थापित हुए।

निगम द्वारा संतुलित विकास के मद्देनजर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है और रोजगार सृजन के अवसर निर्मित हुए हैं। इन इकाइयों में 3.31 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया गया है।

निगम वर्ष 2008 से आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र प्राप्त एक वित्तीय संस्था है जिसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया गया है। निगम में गुणवत्ता प्रबन्धन तंत्र के आधार पर लीड ऑडिटर्स द्वारा निरीक्षण के पश्चात् आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र आगामी तीन वर्षों के लिए वर्ष 2017 तक प्रदान किया है।

निगम का उद्देश्य राज्य में स्थापित होने वाले लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा गुणवत्ता को बनाये रखना है।

1. संगठन का ध्येय एवं उद्देश्य:

(अ) ध्येय:

प्रदेश के प्रमुख वित्तीय संस्थान होने के नाते निगम का ध्येय राज्य में स्थित लघु एवं मध्यम क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों को लघु एवं मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करना है। इसके फलस्वरूप राज्य के औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी तथा रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे।

निगम द्वारा राज्य में अधो:संरचना विकास की योजनाओं हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ब) उद्देश्य:

1. ग्राहक सेवा

लघु एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण इत्यादि हेतु उचित शर्तों एवं ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना तथा अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

2. मानव संसाधन विकास:

1. कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता के विकास हेतु सतत् प्रयास करना एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान व कुशलता में वृद्धि करना।
2. कार्यनिष्पादन में मानव संसाधन विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए कार्यप्रणाली में निरन्तर सुधार लाना।

3. राज्य शासन के प्रति भूमिका:

1. प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु राज्य शासन की नीतियों के अनुरूप योजनाएँ बनाकर संचालित करना।
2. पूंजी के स्रोत हेतु राज्य शासन पर निर्भरता कम करना एवं भविष्य में लाभांश देने का लक्ष्य।
3. निगम को देश में अपने प्रकार का सर्वश्रेष्ठ निगम बनाने हेतु प्रयास करना।

4. अधिकतम गुणवत्ता हेतु भूमिका

प्रतिस्पर्धा के इस दौर में गुणवत्ता ही निर्णायक भूमिका अदा करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निगम की समस्त कार्यप्रणाली में गुणवत्ता को प्रमुख महत्व देना एवं निगम की समस्त गतिविधियों में यह परिलक्षित होना।

2. निगम के उद्देश्य (अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन)

दीर्घकालीन:

1. निगम के समस्त ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ बनाना एवं ग्राहक मित्र वातावरण निर्मित करना।
2. लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों में जागरूकता लाना।
3. लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के साथ दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करना।
4. सभी व्यावसायिक विकास केन्द्रों को लाभ केन्द्र एवं आत्मनिर्भर बनाना।
5. सभी प्रणालियों को पर्यावरण मित्र बनाने की दिशा में प्रयास करना एवं आने वाले समय में इस क्षेत्र में आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र हासिल करना।

अल्पकालीन

1. लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों को अवधि ऋण प्रदान करना।
 2. ऑटो, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील एवं स्टील उत्पाद तथा केमिकल एवं खाद उद्योगों की अनुषंगी इकाइयों की स्थापना एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
 3. राज्य के संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम क्षेत्र के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को मध्यम अवधि ऋण प्रदान करना।
 4. राज्य के पिछड़े क्षेत्रों एवं छोटे शहरों में व्यावसायिक विकास केन्द्रों के माध्यम से ऋण सुविधा का विस्तार।
 5. उधार जोखिम को विस्तृत आधार पर कम करने हेतु लघु ऋणों एवं उद्यमियों की संख्या बढ़ाना।
 6. ऋण प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु कार्यप्रणाली विकसित करना।
3. उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निगम के प्रयास:

छोटे ऋणों की संख्या में वृद्धि हेतु निगम द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं इस हेतु राज्य में व्यावसायिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों को समुचित अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन केन्द्रों के द्वारा सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त व्यवसाय अर्जित (बिना किसी अतिरिक्त प्रशासकीय व्यय के) किया जा रहा है। परिचालन व्यय हेतु भी बजट के प्रावधान, आवश्यकताओं को देखते हुए न्यूनतम स्तर पर रखे गए हैं।

भाग-2
लक्ष्य

(अ) व्यावसायिक / वित्तीय

(रूपये लाख में)

		रूपये लाख में			लक्ष्य भार
		2014-15		⊗ 2015-16 लक्ष्य	2015-16
		⊗ लक्ष्य	प्राप्तियाँ		
1	ऋण स्वीकृति	42500.00	49029.00	50000.00	15
2	ऋण वितरण +	30000.00	33677.00	37500.00	15
3	ऋण वसूली	26500.00	27345.00	30000.00	15
	— मूलधन	17000.00	16700.00	18000.00	
	— ब्याज	9500.00	10645.00	12000.00	
4	अलाभप्रद आस्तियों #	पोर्टफोलियो का 5%	4.83%	पोर्टफोलियो का 5%	3
5	परिचालन लाभ (कर पूर्व)	1250.00	1627.00	2000.00	-
	परिचालन लाभ (कर पश्चात)	900.00	1167.00	1500.00	10
6	शासन द्वारा दी गई गारंटी वाले ऋण का पुनर्भुगतान	2300.00	• 2685.00	3700.00	1
7	शासन द्वारा दी गई गारंटी वाले ऋण पर देय ब्याज का भुगतान	2000.00	• 3443.00	3500.00	1
8.	शासन को 1%की दर से गारंटी फीस का भुगतान	* -	-	-	1
9.	शासन को देय लाभांश चूंकि संचित हानि अत्यधिक है इसलिए सकल लाभ की पूरी राशि, इसे कम करने में उपयोग की जा रही है।				
10	संचित लाभ/(हानि) @	(-) 21000.00	20897.22	19397.22	
11	स्वीकृत ऋणों की संख्या	300	326	350	
12	पिछड़े जिलों में स्वीकृत ऋणों की संख्या	100	149	175	
13	रणनीति — निगम द्वारा अपने पोर्टफोलियो में सामान्यतः 50% उत्पादनरत इकाई, 25% सेवाक्षेत्र एवं 25% कमर्शियल रियल सेक्टर में ऋण देने की नीति बनाकर उसी के तहत ऋण स्वीकृत किये जाते हैं। — निगम द्वारा ऋण वितरण के लिए सिडबी से पुनर्वित्त, हुडको से ऋण एवं बॉण्ड्स जारी कर राशि की व्यवस्था की जाती है। गत वर्ष से सिडबी द्वारा पुनर्वित्त देना आगामी 5 वर्षों के अन्तराल में कमशः कम करते हुए बन्द कर दिया जायेगा। इसलिए निगम द्वारा गत वर्ष से व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेना प्रारम्भ किया है जो कि शासकीय प्रतिभूति पर प्राप्त हो रहा है। यह ऋण/लिमिट इस प्रकार उपयोग (ऑपरेट) की जायेगी कि यथासम्भव न्यूनतम होल्डिंग चार्ज देना पड़े।				

- ⊗ ब्याज दरें महंगी हो जाने और बाजार में मंदी के वातावरण को देखते हुए लक्ष्य व्यवहारिक स्तर पर ही रखे गये हैं।
- + ऋण वितरण के लक्ष्य की राशि ऋण स्वीकृति की राशि से अपेक्षाकृत कम रखी जाती है, क्योंकि ऋण स्वीकृति के पश्चात इकाई के प्रवर्तकों को स्वयं की पूंजी का निवेश इकाई में करना होता है। ऋण वितरण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की स्थिति के आधार पर निर्भर करती है जिसमें काफी समय लगता है।
- # भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 90 दिवस से अधिक अतिदेय राशि वाले ऋण खातों को अलाभप्रद सम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। हालांकि इन खातों में निगम के पास पर्याप्त सम्पत्ति बंधक है एवं पूर्ण वसूली की सभी सम्भावनाएँ हैं।
- सभी भुगतान समय पर मांग के अनुसार किये गये।
- @ निगम की संचित हानि के प्रमुख कारण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार गैर-निष्पादनकारी आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान एवं निगम द्वारा उच्च ब्याज दर पर जारी किए गए SLR बॉण्ड्स, जिनमें RBI के अनुसार समय पूर्व भुगतान का विकल्प नहीं था। तदुपरान्त ब्याज दरों के लगातार घटने के फलस्वरूप निगम को ऋणों पर ब्याज दर में कमी करनी पड़ी, परन्तु बॉण्ड के ब्याज का भुगतान करना जारी रखा। वर्तमान में निगम द्वारा जो Non SLR बॉण्ड जारी किए गए हैं उनमें "Put" एवं "Call" विकल्प रखा गया है।
- * मध्य प्रदेश शासन से गारन्टी फीस माफी हेतु प्रार्थना की जा रही है।

* (ब)विकासात्मक / लक्ष्य

		2014-15				2015-16		भार 22%
		लक्ष्य		प्राप्तियों		लक्ष्य		
		संख्या	लाख	संख्या	लाख	संख्या	लाख	2015-16
1	निगम के ऋणग्रहिताओं के आधार के विस्तार हेतु व्यावसायिक विकास केन्द्रों तथा जिला स्तर पर व्यवसाय विकास संगोष्ठी आयोजित करना।	3	-	3	-	3	-	1
2	प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में लघु वाणिज्यिक इकाइयों/सेवाक्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	125	22000.00	149	22210.00	175	25000.00	3
3	लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के कुशल वित्तीय प्रबन्धन क्षमता विकास हेतु कार्यक्रम आयोजित करना। (विशेषकर एकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर में)	2	-	2		2		1
4	उद्यमियों हेतु नई योजनाएँ बनाना अथवा प्रचलित योजनाओं में समायोचित परिवर्तन एवं सुधार करना। (विशेषकर निर्यात क्षेत्र में वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार का संस्था से समन्वय बनाकर)	3	-	3		3		2
5	सफल योजनाओं का प्रलेखीकरण एवं निगम की वेबसाइट पर प्रसारित करना।	5	-	5		5		1
6	नवीन व्यवसाय की सम्भावनाओं को चिन्हित करना।	1	-	1		1		2
7	वैकल्पिक बाह्य स्रोतों से पूंजी अर्जन (सिडबी को छोड़कर)	-	17500.00		18718.00		20000.00	5
8	अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु प्रबन्धन क्षेत्र के विद्यार्थियों को "प्रोजेक्ट फायनान्सिंग" विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करना।	50	-	60	-	75	-	2
9	पर्यावरण के प्रति जागरूकता	*						3
10	समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन	-						2
11	उद्यमी विकास के सम्बन्ध में कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता हेतु प्रशिक्षण					20		

○ म.प्र.राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

* जो इकाइयों पर्यावरण सुधार हेतु कार्य करेगी उन्हें विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार होगा।

1. 5 यूनिटों की एनर्जी ऑडिट कराना।

2. पर्यावरण सुधार हेतु वेबसाइट पर सामग्री डालना, जिसका लाभ उद्यमी ले सकें – वेबसाइट पर पर्यावरण सुधार हेतु सुझाव दर्शित किए गए हैं।

(स) प्रशासनिक

क	वित्तीय	लक्ष्य परिमाणन का वर्णन			भार 13 %
		2014-15		2015-16 लक्ष्य	2015-16
		लक्ष्य	प्राप्तियाँ		
1	कार्यकलापों का कम्प्यूटराई-जेशन यानि कम्प्यूटर, साफ्टवेयर की खरीददारी एवं प्रशिक्षण इत्यादि	नये सॉफ्टवेयर के अनुसार कम्प्यूटर कय करना व प्रशिक्षण देना।	नये सॉफ्टवेयर के अनुसार कम्प्यूटर कय किये गये एवं प्रशिक्षण दिया गया।	नये सॉफ्टवेयर के अनुसार कम्प्यूटर कय करना व प्रशिक्षण देना।	0
2	लेखों का अन्तिमीकरण 1. प्राविजनल लेखे 2. वैधानिक अंकेक्षण का किया जाना। 3. अंकेक्षित लेखों का विधानसभा पटल पर प्रस्तुति	2014-15 2014-15 2014-15	मई, 2015 जून, 2015 नवम्बर, 2015 सम्भावित	मई, 2016 जून, 2016 नवम्बर, 2016	1 1 1
3	कुल व्यय एवं स्थापना व्यय का अनुपात	15% से कम	13.57%	15% से कम	1
4	कुल ऋण वितरण एवं स्थापना व्यय का अनुपात	4% से कम	3.69%	4% से कम	-
5	शासकीय प्रतिभूतियों का समझौता (निरस्तीकरण)	रु. 5000.00 लाख	रु. 5000.00 लाख	रु. 14000.00 लाख	-
ख	मानव संसाधन विकास				
1	ऑटोमेशन/ई-गवर्नेन्स के माध्यम से व्यक्तियों से मुलाकात।	खाते की जानकारी कम्प्यूटर साईट पर देना, SMS आधारित अलर्ट स्थापित करना।	खाते की जानकारी कम्प्यूटर साईट पर उपलब्ध करवाई, SMS आधारित अलर्ट स्थापित किया गया।	खाते की जानकारी कम्प्यूटर साईट पर देना, SMS आधारित अलर्ट स्थापित करना। सेवा सम्बन्धी ग्राहकों का फीडबैक ऑनलाईन प्राप्त करना।	4
2	प्रशिक्षण/कर्मचारियों की केपिसिटी बिल्डिंग लेखा सॉफ्टवेयर में।	30 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना।	5 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।	15 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना।	1
3	ग्राहक संतुष्टि ऋणियों में से 10% का चुनाव कर जाँचना।	शाखा कार्यालयों से 85 ग्राहकों के फीडबैक फार्म समय समय पर बुलाना व सुझावों पर कार्यवाही करना।	90 ग्राहकों से फीडबैक फार्म के माध्यम से जानकारी मंगाई गई। सभी ने संतुष्ट पाया।	शाखा कार्यालयों से 100 ग्राहकों के फीडबैक फार्म समय समय पर बुलाना व सुझावों पर कार्यवाही करना।	1
4	विभागीय पदोन्नति समिति	31-03-2014 तक रिक्त होने वाले पदों की DPC पूर्ण करना	-	31-03-2015 तक रिक्त हो चुके पदों की DPC पूर्ण करना	1
5	गोपनीय चरित्रावलियों	2014-15 की गोपनीय चरित्रावलियों 31.12.2015 तक पूर्ण की जाना।	2014-15 की गोपनीय चरित्रावलियों 31.12.2015 तक पूर्ण की जा सकेगी।	2015-16 की गोपनीय चरित्रावलियों 31.12.2016 तक पूर्ण की जाना।	1
6	विभागीय जाँच	-	-	-	-
7	प्रबन्ध संचालक द्वारा लक्ष्यपूर्ति करारनामा की तिमाही समीक्षा एवं कार्यवाही विवरण बनाना	2014-15 का लक्ष्यपूर्ति करारनामा की दो समीक्षा करना।	समीक्षा हुई। 2014-15 करारनामा प्रबन्ध संचालक व सचिव (वित्त) के हस्ताक्षर उपरान्त सा.उ.वि. को भेजा गया।	2015-16 का लक्ष्यपूर्ति करारनामा की दो समीक्षा करना।	1
8	कर्मचारियों की संख्या	185	177		
9	संविदा नियुक्ति			05 *	

* वित्तीय सलाहकार-1, प्रबन्धक (वित्त)-1, प्रबन्धक (मार्केटिंग)-1, विधि विशेषज्ञ-1, तकनीकी विशेषज्ञ-1,

(द) निगमित प्रशासन

		लक्ष्य परिमाणन का वर्णन			भार 4 %
		2014-15 लक्ष्य	14-15 प्राप्तियों	2015-16 लक्ष्य	2015-16
1	वर्ष में की गई संचालक मण्डल बैठकों की संख्या	5	7	4	1
2	वार्षिक साधारण सभा की दिनांक	जुलाई, 2015	7 अगस्त, 2015	जुलाई, 2016	1
3	वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना	जुलाई, 2015	अगस्त, 2015	जुलाई, 2016	—
4	आयकर की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना	सितम्बर, 15	सितम्बर, 15 सम्भावित	सितम्बर, 16	—
5	अंकेक्षण समिति बैठक करना	2	2	2	1
6	भविष्य निधि की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना	जनवरी, 2015	जनवरी, 2015	जनवरी, 2016	—
7	वृत्तिकर की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना	31.07.2015 से पूर्व	अक्टूबर 2014	अक्टूबर, 2015	—
8	सर्विस कर की छमाही विवरणी प्रस्तुत करना	अक्टूबर 15	अक्टूबर 2015	अक्टूबर 2016	—
9	वेट की तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना	—	—	—	—
10	आरओसी में वैधानिक विवरणी प्रस्तुत करना	—	—	—	—
11	पारदर्शिता रखना	कम से कम प्रत्येक तिमाही वेबसाइट अपडेट करना।	प्रत्येक तिमाही पर वेबसाइट पर अपडेट किया गया।	कम से कम प्रत्येक तिमाही वेबसाइट अपडेट करना।	1
12	सिटीजन चार्टर को बनाना एवं उसकी देखरेख	—	सिटीजन चार्टर वेबसाइट पर उपलब्ध है।	सिटीजन चार्टर वेबसाइट पर उपलब्ध कराना	—
13	सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करना एवं इसके तहत पीएसयू रेकार्ड उपलब्ध कराना	प्राप्त सभी आवेदनों को समयसीमा में निपटाना।	प्राप्त 20 आवेदनों को समयसीमा में निपटाया गया।	प्राप्त सभी आवेदनों को समयसीमा में निपटाना।	—
14	अनुपात 1. रिटर्न आन नेटवर्थ % 2. डेब्ट इक्विटी अनुपात 3. प्रति शेयर उपाजर्न	5.00% 3.50:1 2.50	5.88% 3.44:1 3.14	6.00% 3.50:1 3.35	—

भाग-3**शासन से अपेक्षाएँ**

- (1) राज्य शासन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), तथा मध्यप्रदेश वित्त निगम के मध्य वर्ष 2009 में पाँच वर्ष के लिए नवीनीकृत त्रिपक्षीय करारनामे की मूल भावना को संरक्षित रखते हुए अनुपालन किया जावेगा।
- (2) निगम द्वारा विभिन्न स्रोतों (सिडबी को छोड़कर) जैसे हुडको, बैंकों, बॉण्ड के प्रायवेट प्लेसमेंट के माध्यम से समय-समय पर राशि एकत्रित किए जाने वाले ऋणपत्रों हेतु राज्य शासन द्वारा समय पर प्रतिभूति प्रदान की जायेगी।

प्रबन्ध संचालक
मध्य प्रदेश वित्त निगम

दिनांक: _____

सचिव/प्रमुख सचिव
वित्त विभाग

दिनांक: _____

भाग-4

निगम की गत पाँच वर्षों की वास्तविक उपलब्धियाँ

(रूपये लाख में)

लक्ष्य	प्राप्ति 2010-11	प्राप्ति 2011-12	प्राप्ति 2012-13	प्राप्ति 2013-14	प्राप्ति 2014-15
व्यवसायिक/वित्तीय स्वीकृतियाँ	24634.55	26003.20	32521.00	40353.00	49029.00
वितरण	15125.00	16302.93	20903.29	28779.00	33677.00
वसूली	14706.00	18115.00	19923.10	22658.00	27345.00
एनपीए प्रतिशत	1.89%	3.82%	5.00%	4.84%	4.83%